उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-1
सं0- 93/2018/सं0वि0क0नि0-1-1101/11-2018-146/15
लखनऊः दिनांक: 09 जुलाई, 2018

चेतावनी

श्री राजेश कुमार,
डि0 कमि0 खण्ड-8, वाणिज्य कर,कानपुर
सम्प्रति डि0कमि0 वाणिज्य कर, मुख्यालय।
द्वारा-कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0 लखनऊ।

वर्ष 2014-15 में डिप्टी कमिश्नर खण्ड-8, वाणिज्य कर, कानपुर में तैनाती के दौरान उक्त खण्ड का संग्रह, वास्तविक प्राप्त संग्रह से अधिक बढ़ाकर सूचित किये जाने तथा राजस्व वृद्धि का प्रयास न करके कृत्रिम रूप से अपने क्षेत्राधिकार के राजस्व की वृद्धि प्रदर्शित कर शासन एवं उच्चाधिकारियों को दिगभ्रमित किये जाने के कारण उक्त बरती गई लापरवाही एवं अनियमितता हेतु उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-10(2) के अन्तर्गत शासन के पत्र सं0- सं0वि0कनि0- 1-1919-6/11-2015-146/15, दिनांक 19.10.2015 द्वारा निर्गत कारण बताओं नोटिस का उत्तर उक्त नोटिस की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा अनुस्मरण पत्र दिनांक 18.10.2016, दिनांक 30.11.2017 एवं दिनांक 03.05.2018 प्रेषित किये गये, परन्तु लगभग 02 वर्ष 08 माह का समय व्यतीत होने के पश्चात आप द्वारा उत्तर अभी तक उपलब्ध नही कराया गया है।

2- अतः आपके उक्त कृत्य हेतु चरित्र पंजिका के माध्यम से चेतावनी देते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में शासकीय पत्राचारों का समय से उत्तर दिया करें। उक्त चेतावनी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के वर्ष-2017-18 के साथ पढ़ी जायेगी।

श्री राज्यपाल की ओर से,

नरेन्द्र कुमार
उप सचिव।

सं0- स0वि0क0नि0-1-1101 (1)/11-2018, तद्दिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कमिश्नर, वाणिज्य-कर,उ0प्र0,लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत चेतावनी को सम्बन्धित अधिकारी के ऊपर तीन दिन के अन्दर तामील कराया जाना सुनिश्चित कराते हुए उक्त तामीली की सूचना शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- संबंधित अधिकारी की चरित्र पंजिका में रखने हेतु।
3- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in